संख्या-105/2019/5091/71-1-2019-जी-27/2018टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 दिसम्बर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर के नवनिर्मित फार्मेसी भवन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के निरीक्षणोपरान्त कम्पलाइन्स रिपोर्ट में दर्शायी गई कमियों अंकित बिन्दु बी, सी, डी एवं ई का निस्तारण करने हेतु मानकानुसार परिवर्तन, निर्माण कार्य एवं साज-सज्जा कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/413, दिनॉक 25-11-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के नवनिर्मित फार्मेसी भवन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के निरीक्षणोपरान्त कम्पलाइन्स रिपोर्ट में दर्शायी गई कमियों अंकित बिन्दु बी, सी, डी एवं ई का निस्तारण करने हेतु मानकानुसार परिवर्तन, निर्माण कार्य एवं साज-सज्जा कार्य हेतु मूल्याकंन समिति द्वारा आकलित लागत रू0 372.37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 48.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-284/2018/4163/71-1-2018-जी-27/2018टी0सी0, दिनॉक 02-11-2018 द्वारा प्रदान की गई है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-70/2019/2126/71-1-2019-जी-27/2018टी0सी0, दिनॉक 13-08-2019 द्वारा रू0 137.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 186.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के नवनिर्मित फार्मेसी भवन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के निरीक्षणोपरान्त कम्पलाइन्स रिपोर्ट में दर्शायी गई कमियों अंकित बिन्दु बी, सी, डी एवं ई का निस्तारण करने हेतु मानकानुसार परिवर्तन, निर्माण कार्य एवं साज-सज्जा कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 286.43 में से परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 1,86,19,000/- (रू0 एक करोड़ छियासी लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
2- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक का होगा।
3- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य/महानिदेशक की होगी।
7- आगणन में सम्मिलित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
8- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नही रखी जायेगी।
10- शासनादेश संख्या-284/2018/4163/71-1-2018-जी-27/2018टी0सी0, दिनॉक 02-11-2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( अमित सिंह बंसल )
विशेष सचिव

संख्या:-105/2019/5091(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट-19, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।